



राजस्थान सरकार
वित्त (बीमा) विभाग

क्रमांक प.5(5)वित्त/बीमा/2020 पार्ट-II

जयपुर, दिनांक 20.07.2021

स्पष्टीकरण-आदेश


इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की अंशदान कटौती दरें निर्धारित की गयी हैं।


इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि:-

1. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों, जिनकी नियुक्ति दिनांक 01.01.2004 के पश्चात हुई है, को राज मेडिकलेम पॉलिसी जारी नहीं की जाती है बल्कि ये अधिकारी अपने संबंधित चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा सुविधा प्राप्त करते हैं और इनसे आरपीएमएफ के अंशदान की राशि प्राप्त की जाती है। अतः उक्त अधिकारियों के संबंध में समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 के कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित दर ही लागू होगी, अर्थात् जो पूर्व में आरपीएमएफ के अन्तर्गत कटौती थी, वही अब आरजीएचएस लागू होने से आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत की जायेगी।
2. परिवीक्षाधीन कार्मिकों के संबंध में GPF और State Insurance की कोई कटौती नहीं होती है। परिवीक्षा काल पूर्ण होने के उपरान्त ही कटौती की जाती है, परन्तु परिवीक्षाधीन अवधि में राज मेडिकलेम की सुविधा देय है। अतः आदेश दिनांक 07.07.2021 में दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों के अनुसार आरजीएचएस फण्ड के अन्तर्गत कटौती की जानी है। इस हेतु परिवीक्षाधीन कार्मिक जिस पद पर नियुक्त हुए हैं, उस पद की पे-मैट्रिक्स के अनुसार निर्धारित स्लेब में, जो कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों पर लागू है, उक्त आदेश के नोट संख्या 2 का विकल्प देते हुए कटौती की जानी है।

समसंख्यक आदेश दिनांक 07.07.2021 में उल्लेखित वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम संख्या एफ 1 (4) वित्त/नियम/2021 की दिनांक 15.04.2020 को दिनांक 15.04.2021 पढ़ा जावे।

यह स्पष्टीकरण वित्त (नियम) विभाग से बारकोड संख्या 322100247 दिनांक 19.07.2021 पर प्राप्त परामर्श के अनुसरण में जारी किया जाता है।


(वेद प्रकाश गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव




प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान ।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान ।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव माननीय मंत्री महोदय/राज्य मंत्री महोदय ।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
5. वरिष्ठ उप शासन सचिव, मुख्य सचिव ।
6. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर ।
7. समस्त विभागाध्यक्ष ।
8. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर ।
9. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर ।
10. निदेशक (सांख्यिकी) मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर ।
11. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान जयपुर ।
12. समस्त अनुभाग, शासन सचिवालय ।
13. प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान जयपुर ।
14. विधि रचना संस्थान, राजस्थान जयपुर ।
15. तकनीकी निदेशक, वित्त विभाग (कम्प्यूटर अनुभाग) ।
16. रक्षित पत्रावली ।

प्रतिलिपि अन्य को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान जयपुर ।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान जयपुर ।


संयुक्त शासन सचिव 20/7/2021